



कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़  
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)  
E-mail :corporationraigarh@gmail.com  
Phone No:- 07762-222911



क्रमांक 963 /जल वि./न.पा.नि./2025 रायगढ़, दिनांक 07/03/2025

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

अमृत मित्र योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम रायगढ़ के विभिन्न उद्यानों के संचालन एवं संधारण कार्य, उच्च स्तरीय जलागारो से वितरण होने वाले जल के परीक्षण हेतु सैम्पल संग्रहण गैर तकनीकी कार्य एवं अमृत मिशन योजना के तहत लगाये गये वाटर मीटर के रीडिंग, बिलिंग व शुल्क संग्रहण कार्य हेतु नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत NULM (City) प्रबंधन इकाई रायगढ़ क्षेत्र में पंजीकृत महिला स्व. सहायता से रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) दिनांक 18/03/25 को सायं 04:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

नोट :- \*कार्य की सूची व नियम एवं शर्तें संलग्न कर वेबसाइट [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com) / [uad.cg.gov.in](http://uad.cg.gov.in) पर अपलोड है।

\* कार्य का अन्य विवरण एवं नियम शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 963 /जल वि./न.पा.नि./2025 रायगढ़, दिनांक 07/03/2025  
प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
2. संपादक दैनिक समाचार पत्र ..... को ..... से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. आवक शाखा, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़  
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail : [corporationraigarh@gmail.com](mailto:corporationraigarh@gmail.com)  
Phone No:- 07762-222911



क्रमांक..963 / जल वि./न.पा.नि./2025

रायगढ़, दिनांक 07/03/2025

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अमृत मित्र योजना हेतु जारी दिशा-निर्देश अनुरूप नगर पालिक निगम रायगढ़ के विभिन्न उद्यानों के संचालन एवं संधारण कार्य तथा उच्च स्तरीय जलागारो से वितरण होने वाले जल के परीक्षण हेतु सैम्पल संग्रहण गैर तकनीकी कार्य एवं अमृत मिशन योजना के तहत लगाये गये वाटर मीटर के रीडिंग, बिलिंग व शुल्क संग्रहण हेतु नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत एन.यु.एल.एम. सिटी मिशन प्रबंधन इकाई रायगढ़ क्षेत्र में पंजीकृत महिला स्व सहायता समूहों से "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) दिनांक 1.8.03.25 को सांय 04:00 बजे तक स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विस्तृत विवरण एवं नियम तथा शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से रूपये 100.00/- का भुगतान कर अथवा निगम के वेबसाईट [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com) से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

टीप :- यह "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) निकाय के वेबसाईट [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com) पर प्रदर्शित है। इसके सम्बन्ध में आगामी निर्देश एवं संशोधन उक्त वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किये जावेंगे। कार्य हेतु इच्छुक समूह उद्यमी उक्त वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन कर सकेंगे।

आयुक्त

नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)

पु. क्रमांक 963 / जल वि./न.पा.नि./2025

रायगढ़, दिनांक 07/03/25

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण छ.ग. नवा रायपुर को सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय, जिला-रायगढ़ छ.ग.को सादर सूचनार्थ।
4. राज्य नोडल अधिकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. प्रोगामर डाटा सेन्टर, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को निगम साईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त

नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)

## प्रस्तावना :-

शहरी समुदायों के स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ पानी तक पहुंच एक मौलिक मानव अधिकार है। सतत विकास लक्ष्य 6.4 सभी क्षेत्रों में जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने, जिम्मेदार जल निकासी को बढ़ावा देने और मीठे पानी की निरंतर और टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य पानी की कमी की बढ़ती समस्या से निपटना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस चुनौती से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाना है। स्थायी जल प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) शुरू किया गया है। अमृत शहरों में सीवरेज /सेप्टेज प्रबंधन की 00रू कवरेज सुनिश्चित करना।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत, शहरी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के शक्तिशाली साधन के रूप में उभरे हैं। ये महिलाएं, अपने सामूहिक प्रयासों और साझा संसाधनों के माध्यम से, विभिन्न आजीविका गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं और शहरी समुदायों के समग्र सामाजिक-आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वे परिवर्तन एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं, शहरी वातावरण को नया आकार देने और सशक्तिकरण और समावेशिता को आगे बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।

जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए, शहरी एसएचजी महिलाएं जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण, जल बुनियादी ढांचे के संचालन और अन्य जल क्षेत्रीय परियोजनाओं में अमृत मित्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह पहल उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाएगी।

### परिभाषाएं :-

आयुक्त	-	नगर पालिक निगम, रायगढ़ के आयुक्त
सक्षम प्राधिकारी	-	यथास्थिति आयुक्त/कलेक्टर जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
इच्छुक आवेदक	-	कार्य में नियोजन हेतु स्थानीय स्व सहायता समूह
Amrut	-	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

रुचि की अभिव्यक्ति	-	Amrut Mitra अन्तर्गत स्व सहायता समूहों के चयन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज।
कार्य	-	रुचि की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत अपेक्षित कार्य।
प्रस्ताव	-	रुचि की अभिव्यक्ति के अनुक्रम में इच्छुक समूह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।
निकाय	-	नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

## सामान्य अनुदेश :-

1. - कार्य हेतु "इच्छुक समूह" इस दस्तावेज के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य पर नियोजन हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. - कार्य हेतु "प्रस्ताव" तैयार किये जाने में होने वाले समस्त व्ययों का वहन कार्य हेतु "इच्छुक समूह" के द्वारा किया जावेगा, किसी भी रूप में इसका भुगतान निकाय द्वारा नहीं किया जावेगा।
3. - कार्य हेतु "प्रस्ताव" प्रस्तुत करने के पूर्व प्रचलित कार्य की अवधारणा एवं तदनुसार निकाय क्षेत्र में प्रचलित एवं प्रस्तावित कार्य की जानकारी प्राप्त कर लिया जाना उचित होगा।
4. - कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) का प्रारूप नियम तथा शर्तें निगम के वेबसाईट [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com) से डाउनलोड किया जाकर अथवा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के कार्यालय से रूपये 100.00/- का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाईट से "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) का प्रारूप नियम तथा शर्तें डाउनलोड किये जाने की स्थिति में "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) दस्तावेज का मूल्य रूपये 100.00/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से देय हो प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय दस्तावेज मूल्य के रूप में एक पृथक लिफाफों में दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. - एक स्थानीय स्व सहायता समूह द्वारा एक कार्य हेतु मात्र एक "प्रस्ताव" ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। किसी एक आवेदक अथवा भागीदार द्वारा एक से अधिक "प्रस्ताव" प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत "प्रस्ताव" निरस्त कर दिये जावेंगे।
6. - कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक 12/03/25 के पूर्व कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा, एवं आवश्यक होने पर समय भी विस्तारित किया जा सकता है। इन सूचनाओं का प्रकाशन मात्र वेबसाईट पर ही किया जावेगा।
7. - "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) का "प्रस्ताव" हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. - कार्य हेतु प्रस्तुत "प्रस्ताव" में संलग्न समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाकर संलग्न करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर "प्रस्ताव" में प्रस्तुत दस्तावेजों की मूल प्रति अवलोकनार्थ अथवा अन्य वांछित सह दस्तावेज आइत किये जा सकेंगे।
9. - कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व "इच्छुक आवेदक" को निकाय में प्रचलित कार्य एवं उसकी अवधारणा का भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिए एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंकाओं के निवारण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
- 10- "रुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) "प्रस्ताव" प्रस्तुत करने के पूर्व दस्तावेज में उल्लेखित बिन्दुओं का भलीभांति अध्ययन करते हुए तदनुसार वांछित दस्तावेजों की पूर्ति किया जाकर दस्तावेज शुल्क, कार्य का तकनीकी "प्रस्ताव" पृथक-पृथक लिफाफों में बंद कर अंकित करते हुए इन लिफाफों को एक मूल लिफाफों में सील कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित समयावधि के पूर्व रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा।

- 11- निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त "प्रस्ताव" पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं यह निरस्तीकरण योग्य होगा।
- 12- दिनांक अनुसूची  
 अ- "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) जारी किये जाने का दिनांक ...07.10.2025  
 ब- प्रीविड मिटिंग दिनांक 10.10.25 स्थल - सहायक अभियंता कक्ष, जल शाखा नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)  
 स- कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी <https://nagarnigamraigarh.com> के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु अंतिम दिनांक 17.10.2025  
 द- "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त किये जाने का अंतिम दिनांक 17.10.2025  
 ई- "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने का अंतिम दिनांक 18.10.2025 समय 4:00 बजे तक  
 फ- प्राप्त प्रस्ताव खोले जाने का दिनांक 18.10.25 समय पूर्वाह्न 4.30 बजे स्थान कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)।
- 13- कार्य हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) का "प्रस्ताव" सीलबंद लिफाफों में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पते पर दिनांक 18.10.25 को अपरान्ह 04:00 बजे तक उल्लेखित अनुसार प्रेषित किया जा सकेगा, जिसके अंदर निम्नानुसार दस्तावेजों के लिफाफों पृथक से रहेंगे -  
 लिफाफे के उपर "रूचि की अभिव्यक्ति Amrut Mitra" व स्पष्ट रूप से निविदा क्र. लिखा होना चाहिए लिखा होगा।
- लिफाफा (अ)-दस्तावेज शुल्क-** दस्तावेज प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किये जाने की स्थिति में संग्रहित शुल्क के रसीद की सत्यप्रतिलिपि अथवा दस्तावेज प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में दस्तावेज शुल्क राशि रुपये 100.00/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से देय हो।
- लिफाफा (ब)- तकनीकी प्रस्ताव** - समूह पंजीयन प्रमाण पत्र, पदाधिकारियों का विवरण, नियमावली अद्यतन कृत कार्यों का प्रमाणिक विवरण, परियोजना के आवश्यकता अनुरूप अन्य पंजीयन के साथ प्रस्तावित उद्यम का कार्ययोजना विवरण (संलग्न - प्रपत्र (1), (2), (3), (4)) अनुसार।
- 14- कार्य हेतु प्रस्तुत "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्ताव की वैधता समयावधि "प्रस्ताव" प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक से 90 दिवस की होगी। "प्रस्ताव" प्रस्तुतकर्ता समूह की सहमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे आवश्यकतानुसार समयावधि हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

- 15- कार्य हेतु प्राप्त वैध प्रस्तावों का मूल्यांकन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सम्पादित किये गये अथवा प्रचलित कार्यों के तकनीकी/वित्तीय पक्षों के मूल्यांकन के आधार पर युक्तियुक्त तरीके से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- 16- कार्य हेतु प्राप्त किसी एक अथवा समस्त प्रस्तावों को निरस्त किये जाने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को रहेगा।
- 17- कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 18.12.25 को पूर्वान्ह 4:30 बजे (अपान्ह 4:30 बजे) कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ में खोली जावेगी। इस समय पर सम्बन्धित समूह के पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रहे सकेंगे।
- 18- कार्य हेतु चयनित समूह को उनके चयन की सूचना दिये जाने के उपरांत 07 दिवस की समयावधि में इस कार्य हेतु निकाय एवं चयनित समूह के मध्य अनुबंध हेतु चयनित समूह के पदाधिकारी को 100 रु. के स्टाम्प सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 19- कार्य हेतु प्राप्त "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्तावों के चयन के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार नियमानुसार चयन की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।
- 20- कार्य के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी अथवा "प्रस्ताव" प्रस्तुतकर्ता समूह के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में इसका निपटारा आर्बिट्रेटर जो कि कलेक्टर, जिला-रायगढ़ होंगे के द्वारा किया जावेगा। आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया आदेश दोनों पक्षों हेतु समान रूप से बंधनकारी रहेगा।
- 21- कार्य हेतु नियुक्त समूह की चयन प्रक्रिया -
- 1- इसमें कार्य करने के इच्छुक आवेदकों को गुण दोष के आधार पर चिन्हाकित किया जावेगा।
  - 2- भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुरूप चिन्हाकित किया जावेगा
- 22- कार्य हेतु नियुक्त समूह को प्रथमतः एक वर्ष हेतु अनुबंधित किया जावेगा, जिसके उपरांत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से आपसी समन्वय कर इसे प्रतिवर्ष करते हुये अधिकतम 3 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकेगा।
- 23- कार्य हेतु नियुक्त समूह का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में इसकी सूचना समूह को लिखित रूप में दिया जाकर उनसे इसका प्रतिवेदन आइत किया जा सकेगा, एवं प्राप्त प्रतिवेदन असंतोषजनक होने की स्थिति में इससे असहमत होते हुए कार्य हेतु सम्पादित अनुबंध सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

- 24- कार्य हेतु नियुक्त समूह द्वारा परियोजनान्तर्गत उनके कृत कार्यों का मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सह-दस्तावेजों सहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।
- 25- परियोजनान्तर्गत समूह द्वारा सृजित किये गये समस्त दस्तावेज निकाय की परिसम्पत्ति रहेगी, जिसका उपयोग आवेदक द्वारा अन्य कार्यों या अन्य स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा।
- 26- कार्य के सम्बन्ध में समक्ष प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यक सुझाव, निर्देश कार्य हेतु नियोजित आवेदक को दे सकेंगे, जिनका पालन नियोजित आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
- 27 - उपरोक्त सभी प्रकार के लाभार्थी अनिवार्यतः <sup>(व्यय)</sup> उसी नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्र के होने चाहिए।
- 28- चयनित समूह के कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा निर्देशित विभिन्न प्रशिक्षण में भाग लिया जाना होगा।
- 29- आवेदक स्व सहायता समूह का एन.यु.एल.एम. सिटी मिशन प्रबंधन इकाई रायगढ़ क्षेत्र में पंजीयन एवं रिवाल्विंग फंड प्राप्त किया होना अनिवार्य होगा।
- 30- समूह के कम से कम 2 सदस्य का डिजीटल जागरुकता एवं आठवी पास होना अनिवार्य होगा।
- 31- स्व सहायता समूह का बैंक खाता एक्टिव होना चाहियें।
- 32 - स्व सहायता समूह का नियमित बैठक पंजी/बचत पंजी/लेखा संधारण पंजी का नियमित संधारण विवरण का अवलोकन किया जावेगा। नियमों के अनुपालन करने वाले समूह की पात्र होंगे।
- 33 - वर्तमान स्वच्छता कार्य में संलग्न स्वच्छता दीदीयों हेतु निर्धारित मानदेय जो उनके द्वारा कार्य के विरुद्ध प्रदाय किया जाता है, उसका भुगतान कार्य के प्रमाणन के आधार पर शासन के दिश-निर्देश अनुरूप देय होगा।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)

प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण प्रपत्र-01

प्रति

आयुक्त  
नगर पालिक निगम,  
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- "रूचि की अभिव्यक्ति Amrut Mitra" योजना अन्तर्गत समूह चयन बावत् प्रस्ताव।  
संदर्भ :- आपके कार्यालय का "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) क्रमांक ..... दिनांक .....  
----0000---

महोदय,

उपरोक्त विषयाकित कार्य हेतु संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में जारी "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) का प्रस्ताव नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्र में "Amrut Mitra" योजना अन्तर्गत समूह चयन बावत् जारी निर्देशों का भलीभांति अवलोकन, अध्ययन किये जाने के उपरांत तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न :-

- (1) दस्तावेज शुल्क -  
डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक .....  
बैंक का नाम .....  
राशि रूपये .....
- (2) आवेदक का पंजीयन नियमावली एवं अन्य वांछित जानकारी।

भवदीय

(आवेदक का नाम, पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर)

## स्य साहायता समूह के विवरण का प्रपत्र-02

1. आवेदक का नाम :
2. वैधानिक पता :
3. दूरभाष क्रमांक :
4. फ़ैक्स/ईमेल पता :
5. पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक :
6. प्रस्तावित कार्यो हेतु सम्पर्क सुत्र/व्यक्ति का विवरण :
  - 1) नाम :
  - 2) पदनाम :
  - 3) पता :
  - 4) दूरभाष क्रमांक :
  - 5) फ़ैक्स/ ईमेल पता :
7. प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता /हस्ताक्षरकर्ता का विवरण :
  - 1) नाम :
  - 2) पदनाम :
  - 3) पता :
  - 4) दूरभाष क्रमांक :
  - 5) फ़ैक्स/ ईमेल पता :

**भवदीय**  
(आवेदक का नाम, पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर)

स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण का प्रपत्र - 03

क्र.	कार्य का विवरण	वर्ष	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी

टीप :- कृपया उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में शासकीय/अशासकीय आदेश/पत्राचार की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें।

**भवदीय**

(आवेदक का नाम, पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर)

स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण प्रपत्र - 04

क्र.	नाम	पदनाम	पता	टिप्पणी

टीप :- पंजीयक उपरांत जोड़े गये/विलोपित किये गये पदाधिकारियों का उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में करें।

भवदीय  
(आवेदक का नाम, पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर)